

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्

क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

सेवा में

प्रबन्धक,

जैरएम वर्मा हाथर सेकेप्टी स्कूल

गोमद्गुर चक चूनोंगा औरास उन्नाव

पत्रांक: माठशिठपा / क्षे०का०इ० / मान्यता / ०५।

दिनांक ३०-०५-२०१७

विषय: सीधे (कक्षा-९ व १०) / (कक्षा-६ से १० तक) हाईस्कूल (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता समिति की संस्थाति पर सम्पादि, माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासन ने इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा-७क(क) के अन्तर्गत आपकी संस्था जैरएम वर्मा हाथर सेकेप्टी स्कूल गोमद्गुर चक चूनोंगा औरास उन्नाव को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की हाईस्कूल परिषा वर्ष-2020 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिष्ठनों सहित एक साथ (वन टाइम) मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा-७क(क) के प्रावधानों के अधीन दिये जाने का आदेश प्रदान किया है:-

सामान्य प्रतिष्ठन

- (1) प्रबन्धाधिकरण कक्षायें संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्रारूप, उरक्षित कोष एवं आधिक स्थिति और अन्य प्रतिवर्तनों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुसासन व प्रशासन की व्यवस्था के लिए विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें।
- (2) इस मान्यता-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद को कक्षा संचालित करने की विधित लिखित सूचना रजिस्टर डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये।
- (4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित च्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने ज्ञोतों से व्यवस्था के लिये प्रबन्धाधिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।
- (5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने ज्ञोतों से की जायेगी।
- (6) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

विशेष प्रतिबन्ध

- (क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धाधिकारण का होगा।
- (ख) विद्यालय का प्रबन्धाधिकारक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनियार्थ रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहारित कर ली जायेगी।
- (ग) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाएँ मान्य एवं संचालित नहीं होंगी।
- (घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-25/2006 मंजू अवसर्थी व अन्य बनाम छ0प्र० राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में माना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरुद्ध माना उच्च न्यायालय में वाखिल किये जाने वाले विलयरी-किकेशन अप्लाईशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।
- टिप्पणी— इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छ) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भारतीय
क्षेत्रीय संचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
~~क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।~~

पृष्ठांकन सं0:मार्गितोप० / क्षेत्रीय कार्यालय /
प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

दिनांक 20

1— जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव।

2— संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ।

3— हाईस्कूल परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

4— सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

5— उपसचिव, सिटम सेल, मार्गितोप०, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

~~क्षेत्रीय संचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,~~
~~क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।~~

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

सेवा मं.

प्रबन्धक,
आरएस०कानवेन्ट एकेझर्मी

सेमरा हस्तगांज उन्नाव

पत्रांक: नाठशिल्प० / क्ष०करा०इ० / नाचता / १५२

विषय: सीधे (कक्षा-२ व १०) / (कक्षा-६ से १० तक) हाईस्कूल (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता समिति की संसुन्ति पर सम्भापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुमोदनोंपरान्त शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, १९८७ की धारा-८क(क) के अन्तर्गत आपकी संस्था आरएस०कानवेन्ट एकेझर्मी सेमरा हस्तगांज उन्नाव को बालकं/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष-२०२० से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वन टाइम) मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा-८क(क) के प्रावधानों के अधीन दिये जाने का आदेश प्रदान किया है:-

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) प्रबन्धाधिकरण कक्षायें संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, ग्राहक, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें।
- (2) इस मान्यता-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्तर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद को कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदर्त्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये।
- (4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने चोतों से व्यवस्था के लिये प्रबन्धाधिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।
- (5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने चोतों से की जायेगी।
- (6) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इस नियमित कोई अनुदान देय नहीं होगा।


विशेष प्रतिबन्ध

2

- (क) सस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धाधिकरण का होगा।
- (ख) विद्यालय का प्रबन्धाधिकरण तीन माह में विद्यालय में कार्यालय अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी ऐक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहसित कर ली जायेगी।
- (ग) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाएं मात्र एवं संचालित नहीं होंगी।
- (घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-25/2006 मंजू अवरथी व अन्य बनाम ३०३० राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध ०५ अन्य विशेष अपील में मान० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक ०६.११.२०१२ के विळङ्घ मान० उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले विलगरी-फिलेशन अल्लीकोशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।

टिप्पणी— इस पत्र में अकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पृष्ठ ६(छ.) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।


अधिकारी,


 क्षेत्रीय साहिय,
 माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
 क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन सं०.मा०शि०प० / क्ष०का०इ० / मान्यता /

दिनांक 20

- प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाम।
 - 2- संसारीय संयुक्त शिक्षा निदेशाक, लखनऊ।
 - 3- हाईस्कूल परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।
 - 4- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।
 - 5- उपसचिव, सिस्टम सेल मा०शि०प०, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।


 क्षेत्रीय साहिय,
 माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
 क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,

क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,
लाइसीरेज शिक्षा निकेतन मार्गिं

ओसियों उन्नाव ।

पत्रांक: माठशिपो / क्षेत्रकाठो / मान्यता / ०५३

दिनांक ३०-०५-२०१८

विषय: सीधे (कक्ष-७ व 10) / (कक्ष-६ से 10 तक) हाईस्कूल (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।
महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता समिति की संस्थुति पर सम्भापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा-7क(क) के अन्तर्गत आपकी संस्था लक्ष्मीराज शिक्षा निकेतन माठशिपोसियों उन्नाव को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष-2020 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतीबन्धों सहित एक साथ (वन टाइम) मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा-7क(क) के प्रावधानों के अधीन दिये जाने का आदेश प्रदान किया है:-


सामान्य प्रतीबन्ध

- (1) प्रबन्धाधिकरण कक्षाओं संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण, कार्य हेतु व्यवस्था, साज़-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभृत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतीबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था केर जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद अवगत करायें।
- (2) इस मान्यता-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्तर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद को कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना राजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतों समाप्त समझी जायेगी।
- (3) साज़-सज्जा की व्यवस्था शासन हाँसा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये।
- (4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित चूनांतरम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने ग्रोतों से व्यवस्था के लिये प्रबन्धाधिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।
- (5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इस नियमित कोई अनुदान देय नहीं होगा।
- (6)

२ विशेष प्रतिबन्ध

- (क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सापूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धाधिकरण का होगा।
- (ख) विद्यालय का प्रबन्धत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।
- (ग) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाएं मात्र एवं संचालित नहीं होंगी।
- (घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-25/2006 में अवश्य ए अन्य बनाम डॉप्र० राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में मान० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरुद्ध मान० उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले विलयी-फिकेशन अचलीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।
- टिप्पणी— इस पत्र में अंकित समर्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पृष्ठे 6(छ) माह के अन्दर किया जाना। आवश्यक होगा।

भवनीय,



 क्षेत्रीय सचिव,
 माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
 क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन सं:मा०शि०प० / क्षेप्तक०इ० / मात्रता /

दिनांक 20

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1— जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव।
- 2— संसारीय संघुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ।
- 3— हाईस्कूल परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।
- 4— सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।
- 5— उपसचिव, सिर्टम सेल ना०शि०प०, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।


 क्षेत्रीय सचिव,
 माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
 क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

प्रेषक,

भोजीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
भोजीय कार्यालय, इलाहाबाद।

सेवा में

प्रबन्धक,
परमपूज्य महानीर इंटर कालेज

टेक्ना उन्नत

पत्रांक: मा०शि०प० / क०का०इ० / मान्यता / ०५५

विषय: सीधे (कक्षा-२ व १०) / (कक्षा-६ से १० तक) हाईस्कूल (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,


माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की संस्थुति पर समाप्ति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अनुमोदनप्राप्त शासन ने इंटरनीडरेट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, १९८७ की धारा-७क(क) के अन्तर्गत आपकी सरथा परमपूज्य/महानीर इंटर कालेज टेक्ना उन्नत को बालक/ब्रालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष-२०२० निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वन टाइम) मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित इंटरनीडरेट शिक्षा अधिनियम की धारा-७क(क) के प्रावधानों के अधीन दिये जाने का आदेश प्रदान किया है:-

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) प्रबन्धाधिकरण कालाये संचालित करने के एवं प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-साज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था के लिये विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् अधिकारी करायें।
- (2) इस मान्यता-पत्र के निर्गत होने की विधियां लिखित रूचना रजिस्टर्ड ड्राफ्ट द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) साज-साज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये।
- (4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित चूनातम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने घोटों से व्यवस्था के लिये प्रबन्धाधिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।
- (5) विद्यालय की प्रशासनिक रुच शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने घोटों से जीवी जायेगी।
- (6) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समस्तों द्वारा एवं एवं व्यवस्थाधिकरण द्वारा स्वयं यहीं न कियों जायेगा तथा इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

२ विशेष प्रतिबन्ध

- (क) संस्था हांगा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धाधिकरण का होगा।
- (ख) विद्यालय का प्रबन्धतात्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी ऐकाधिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।
- (ग) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाएँ मात्र एवं संचालित नहीं होंगी।
- (घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या—25/2006 मंजू अवधी तु अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में मान0 उच्च न्यायालय हाश पारित आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरुद्ध मान0 उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले विलयसी-फिकेशन अप्लाईशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।
- टिप्पणी- इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पृष्ठ 6(छ.) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।



क्षेत्रीय संस्थानिक
माध्यमिक शिक्षा परिषद्

दिनांक 20

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव।
- 2- संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ।
- 3- हाईस्कूल परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।
- 4- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।
- 5- उपसचिव, सिस्टम सेल नांशि०प०, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,

क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,

परम्पराज्ञ महावीर इण्टर कालेज

टेक्नाचार

पत्रांक: माठशिंप० / क्षे०का०इ० / मान्यता/ ०५८

दिनांक ३०-०५-२०१९

विषय: इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में
महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्थुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा-7क(क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की वर्ष-2020 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निन्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा-7क(क) के प्राविधानों के अधीन प्रदान किया है :-

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा-7क(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11 वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, विषय व्यवस्था, सांजे-सज्जा, विषय सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्राभृत कोष, सुरक्षित कोष एवं आधिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत कराये।
- (2) इसे मान्यता-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् कार्यालय को 11 वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्थः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लागाया जाय।
- (4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।
- (5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं प्रहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा-7क(क) के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होंगे। इस नियमित कोई अनुदान देय नहीं होगा।

विशेष प्रतिबन्ध

- (क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा नियम पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकारण का होगा।
- (ख) विद्यालय को शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहारित कर ली जायेगी।
- (ग) प्रतिभूत (जमानत) की धनराशि ₹ 5,000/- (रु 5000/- एवं 3000/- प्रति वर्ष/प्रति विषय की दर से) विद्यालय के नाम जमा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के पद नाम में बंधक कारकर प्रभाण निरीक्षक के माध्यम से भेजें।
- (घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-25/2006 मन्त्र अवस्थी ये अन्य बनाम ००प्र० राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध ०५ अन्य विशेष अपील में मान० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक ०६.११.२०१२ के विरुद्ध मान० उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले विलयरी-फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले नियंत्रण के अधीन होंगे।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	पैकाल्पिक विषय
इपटर वैज्ञानिक वर्ग नवीन	हिन्दी	अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीवविज्ञान

ठिपणी- इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिष्ठानों की पूर्ति ६(छ) माह के अन्दर किये जाने की आवश्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

मवनीय

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

दिनांक 20

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1— जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव।
- 2— संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ।
- 3— इपटरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।
- 4— सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।
- 5— उपसचिव, सिस्टम सेल मार्गशीणप०, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

प्रेषक,

क्षेत्रीय समिक्षा,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

सेवा में

प्रबन्धक, क्षेत्रीय समिक्षा

जयकृष्ण उमाओविं चर्चे पतीली

कॉटा गुलजारपुर उन्नाव

पत्रांक: माठशिठपा० / कोठका०३० / मान्यता / ०५६

विषय: सीधे (कक्षा-७ वं १०) / (कक्षा-६ से १० तक) हाईस्कूल (निवीन) की मान्यता प्रदान करने के संबन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की संस्थाति पर समाप्ति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अनुमोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा-7क(क) के अन्तर्गत आपकी संस्था जयकृष्ण उमाओविं चर्चे पतीली कॉटा गुलजारपुर उन्नाव को बालक / बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष-2020 से निम्नलिखित सामन्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वन टाइम) मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा-7क(क) के प्रावधानों के अधीन दिये जाने का आदेश प्रदान किया है :-

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) प्रश्नाविकरण कक्षायें संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवरेख, साज़-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्रामूल, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें।
- (2) इस मान्यता-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त-समझी जायेगी।
- (3) साज़-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये।
- (4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने छोतों से व्यवस्था के लिये प्रश्नाविकरण स्थाये जल्तरदायी होंगा।
- (5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रश्नाविकरण द्वारा आने छोतों से की जायेगी।
- (6) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समस्त लाय प्रश्नाविकरण द्वारा स्थाये वहन किया जायेगा तथा इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

विशेष प्रतिबन्ध 2

- (क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उल्लंघनित संरथा के प्रबन्धादिकरण का होगा।
- (ख) विद्यालय का प्रबन्धनात्मक प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यस्त अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।
- (ग) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाएँ मात्र एवं संचालित नहीं होंगी।
- (घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील राख्या-25 / 2006 मंजू. अवस्थी व शान्त बनाम ००प्र० राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध ०५ अन्य विशेष अपील में मान० उच्च न्यायालय हाँग परित आदेश दिनांक ०६.११.२०१२ के विरुद्ध मान० उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले विलयरी-फिलेशन में आद्वीकेशन में परित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।

टिप्पणी— इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति ६(छ.) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भवा
क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन सं०:मादशिप०० / क्षेत्रका०३० / मान्यता /

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु प्रेषित :-

- 1— जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाष।
- 2— संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ।
- 3— हाईस्कूल परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।
- 4— सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।
- 5— उपसचिव, सिर्टम सेल मादशिप००, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,

क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

सेवा में

प्रबन्धक,
दूलम सिंह पब्लिक स्कूल मेला आलमशाह
ऐतहासिक, बॉगरमऊ उन्नाव

पत्रांक: माठशिठप० / क्ष०का०इ० / मान्यता/ ०५७
विषय: सीधे (कक्षा-७ व १०) / (कक्षा-८ से १० तक) हाईस्कूल (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता समिति की संसुन्दरी पर समाप्ति, माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा-८क(क) के अन्तर्गत आपकी संस्था दूलम सिंह पब्लिक स्कूल मेला आलमशाह ऐतहासिक, बॉगरमऊ उन्नाव को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष-2020 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वन टाइम) मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा-८क(क) के प्रादर्शनों के अधीन दिये जाने का आदेश प्रदान किया है :-

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) प्रबन्धाधिकरण कक्षाएं संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यावस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें।
- (2) इस मान्यता-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद को कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक ह्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जायें।
- (4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद ह्वारा निर्धारित चून्तम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने चौतों से व्यवस्था के लिये प्रबन्धाधिकरण स्थान उत्तरदायी होगा।
- (5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धाधिकरण ह्वारा अपने चौतों से की जायेगी।
- (6) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समर्त व्यय प्रबन्धाधिकरण ह्वारा स्थान वहन किया जायेगा तथा इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

विशेष प्रतिबन्ध

- (क) संरक्षा द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संरक्षा के प्रबन्धाधिकरण का होगा।
- (ख) विद्यालय का प्रबन्धाधिकरण तीन माह में कार्यस्थानीय में कार्यस्थानीय की सुची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनियार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।
- (ग) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाएं मान्य एवं संचालित नहीं होंगी।
- (घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-25/2006 मेंजू अवधीर्ण व अन्य बनाम उप्रो सरकार द्वारा अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरुद्ध मान0 उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले विलयसी-फिकेशन अपलीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।
- टिप्पणी— इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिवन्धों की पृष्ठि 6(छ.) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

विद्यालय,
क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

20

पृष्ठांकन सं0:मांशि0प0 /क्षे0का0इ0 / मान्यता /

दिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—
- 1— जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव।
 - 2— संशानीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ।
 - 3— हाईस्कूल परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।
 - 4— सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।
 - 5— उपसचिव, सिस्टम सेल मांशि0प0, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।